न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या–   11 / 2025

बउनवान

संजू मेहता पुत्री श्री ओमप्रकाश मेहता आयु 30 वर्ष निवासी गांव सालपुरा ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राजस्थान)

(अपीलांट)

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.)
2. नन्दकिशोर किराड़ आयु 62 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति किराड़ निवासी सालपुरा ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोंडेंटगण)

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी बारां कमांक रसद / अभि. / 2023 / 952–959 दिनांक 20.10.2023 जिसके द्वारा प्रार्थिया के उचित मूल्य दुकान (पासकोड 8713) ग्राम पंचायत गोरधनपुरा के लाईसेन्स को निलम्बित कर रेस्पो0 कम 2 नन्दकिशोर को उक्त दुकान का राशन वितरण करने हेतु अधिकृत किया गया।

उपस्थिति :–1. श्री मदनलाल गालव, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 26.05.2025

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू की उचित मूल्य दूकानदार पासकोड 8713 की लाईसेन्सी है रेस्पो० कर्म 1 द्वारा दिनांक 20–10–2023 को उक्त वर्णित आदेश पारित कर अपीलांट की दूकान का लाईसेन्स निलम्बित कर उक्त राशन दूकान की राशन सामग्री वितरण करने हेतु अस्थाई रूपसे वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश पारित किये गये है जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० कम 1 द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती है। अपीलांट महिला है तथा ओ.बी.सी. वर्ग में आती है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की नितियां महिलाओ को स्वावलंबी बनाने तथा रोजगार प्रदान करने की रही है इसी अनुसरण मे अपीलांट को उक्त लाईसेन्स की व्यवस्थार्थ आज्ञा पारित की हुई थी जो अपना सही कार्य कर रही थी परन्तु निराधार तथ्यो पर मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना व सही जांच किये बिना अपीलांट का लाईसेन्स निलम्बित किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 2 को अपीलांट के उचित मूल्य दूकान का राशन वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त किया है वह व्यक्ति राशन की दुकान संचालित करने हेतु योग्यता नही रखता है इस तथ्य पर रेस्पो० कम 1 द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त [illegible] किया है जो निरस्तनीय हैं। रेस्पो० कम 2 जिसे वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त किया गया है [illegible] 63 वर्ष है तथा वह उचित मूल्य दूकान संचालित करने हेतु योग्यता खो चुका है [illegible] संचालित करने हेतु व्यक्ति की आयु अधिकतम 60 वर्ष बताई गई है रेस्पो० [illegible] इस आयु सी[illegible] पार कर चुका है तथा [illegible] वितरण हेतु दूकान संचालित करने एवं लाइसेन्[illegible] संचालित करने के अयोग्य है [illegible] भी उक्त आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा [illegible] कम [illegible] का आग्रह किया गया तथा [illegible] आदेश को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

निरस्त करने एवं अपीलांट को अपनी आवंटी राशन वितरण की दूकान का संचालन करने हेतु आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना की परन्तु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया एवं टालमटोल किया जाता रहा इस कारण अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे एक याचिका एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं0 14409/2024 संजु मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा पेश की थी जिसमे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7–11–2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को माननीय न्यायालय के समक्ष रसद विभाग जिला रसद अधिकारी बारां द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ एक माह के अन्दर अपील करने हेतु निर्देशित किया जिसकी अनुपालना में यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत निवेदन है कि उक्त आदेश को निरस्त कर अपीलांट को उचित मूल्य दूकान (पासकोड 8713) ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तह अटरू के लाईसेन्स को बहाल किये जाने व राशन सामग्री वितरण किये जाने के आदेश पारित फरमावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे ।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

3– हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार रसद की सुनी।

4– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो० कम 1 द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 2 राशन की दुकान संचालित करने हेतु योग्यता नही रखता है इस तथ्य पर रेस्पो० कम 1 द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त कार्यवाही कर गलत आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5– दौराने बहस पेरोकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है अपीलांट स्वंय तथा जर्ये प्रतिनिधि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रही है। अपीलांट ने दिनांक 19.01.2024 को जवाब प्रस्तुत कर फूड पैकेट वितरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 19.01.2024 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का उक्त कृत्य विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से अपीलांट का प्राधिकार पत्र बाद जांच निलम्बित किया गया था। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है। नितान्त असत्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गये तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रही है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने जवाब भी पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:22 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)